शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

बड़वानी जिले की पंचायतों का गठन, निर्वाचन एवं वर्तमान स्थिति

*गिरधारीलाल भालसे (शोधार्थी)
**डॉ. सुरेश काग
*देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर
**सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान)
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सेंधवा, बड़वानी, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संचालन वर्तमान में समूचे देश में किया जा रहा है। ग्राम पंचायत , नगर पंचायत एवं जिला पंचायत के माध्यम से देश की 70 से 80 प्रतिशत ग्रामीण जनता को सुशासन दिलाने की दिशा में प्रशासकीय, विधायी एवं न्यायिक क्षेत्र में प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में बड़वानी नगर प्राचीन काल से जैन गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र रहा है। बड़वानी नगर में स्थापित दिगम्बर जैन मंदिर के अतिरिक्त 12वीं,-13वीं सदी में पर्वतीय चट्टानों को काट कर निर्मित भगवान आदिनाथ जी (बावनगजा जी) की 84 फीट ऊँची प्रतिमा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत शोध पत्र में बडवानी जिले की पंचायतों के गठन, निर्वाचन और वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

पंचायती राज व्यवस्था ने स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है । इससे लोगों में अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति चेतना जाग्रत हुई है । ग्राम व्यवस्थापन में लोगों की भागीदारी बढ़ी है । संविधान में किये गए प्रावधानों ने ग्रामीणों को अधिकार संपन्न बनाया है। मध्यप्रदेश में पंचायत के चुनाव गैरदलीय आधार पर होने से सामूहिकता की भावना का निर्माण हुआ है। उनके सामने विकास के मुद्दे ही प्रमुख रूप से रहते हैं । मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले की पंचायतों में 2014-15 में तीन चरणों में चुनाव संपन्न हुए । तीनों चरण में मतदान का कुल प्रतिशत 83.19 था। इसमें से पुरूषों का मतदान प्रतिशत 83.01, महिलाओं का 82.634 और अन्य 07.70 प्रतिशत था। प्रथम चरण का मतदान 13 जनवरी 2015, द्वितीय चरण का 5 फरवरी 2015 और तृतीय चरण का 22 फरवरी 2015 को संपन्न हुआ।

बड़वानी जिले में पंचायतीराज व्यवस्था का स्वरूप

पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 में 743 जिला पंचायत सदस्य , 6741 जनपद सदस्य और 22804 सरपंच के लए निर्वाचन हुआ। इसके साथ ही 3 लाख 60 हजार 770 पंच के लिए भी निर्वाचन हुआ। इस चुनाव में 3 करोड़ 41 लाख 77 हजार 63 मतदाता थे , जोकि वर्ष 2009 के चुनाव से लगभग 62 लाख अधिक थे। इसमें से एक करोड़ 79 लाख 23 हजार 216 पुरूष, एक

करोड़ 62 लाख 53 हजार 346 महिला और 501 अन्य मतदाता थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा किया गया। इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा किया गया। पंचायत चुनाव में पंच पद के दो लाख 27 हजार 441 अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह सरपंच पद के 526 जनपद पंचायत सदस्य के 97 और जिला पंचायत सदस्य के 5 अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

पंचायत निर्वाचन में आरक्षण

जिला पंचायत के 843 सदस्य में से अनुसूचित जाति के 134, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 170, अनारक्षित 319 और विभिन्न प्रवर्ग में महिलाओं के लिए 433 पद आरक्षित थे। जनपद पंचायत के 6,741 सदस्य में से 1034 अनुसूचित जाति, 1874 अनुसूचित जनजाति , 1303 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2530 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 3490 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह सरपंच के 22,804 पद में 3534 अनुसूचित जाति, 6,384 अनुसूचित जनजाति , 5701 अन्य पिछड़ा वर्ग, 7185 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 11,800 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंच के 3 लाख 60 हजार 770 पद में 55,996 अनुसूचित जाति, 1,02870 अनुसूचित जनजाति , 64,794 अन्य पिछड़ा वर्ग , 1,37,110 अनारक्षित और विभिन्न प्रवर्ग में 1,82,386 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

प्रथम चरण में 39 जिला, 82 विकासखण्ड, 6,100 ग्राम पंचायत, द्वितीय चरण में 43 जिला, 94 विकासखण्ड 6,835 ग्राम पंचायत और तृतीय चरण में 50 जिला, 137 विकासखण्ड और 9921 ग्राम पंचायत में मतदान हुआ। इसके बाद द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष त्रिस्तरीय चुनाव सम्पन्न हुए।

पंचायत निर्वाचन में पहली बार जिला और जनपद सदस्य के लिए मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया। नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प भी मतदाताओं को दिया गया। फोटो युक्त मतदाता सूची बनायी गयी। मतदाता पर्ची का वितरण किया गया। अभ्यर्थियों से शपथ पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र लिये गये। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सेंस (SENSE–Systematic Education, Nurturing and Sensitization of Electorate) के तहत अनेक कार्यक्रम किये गए। इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया। पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की गयी।

मानव संसाधन

पंचायत निर्वाचन में लगभग 5 लाख 54 हजार शासकीय अधिकारी-कर्मचारी की सेवाएं ली गयीं। लगभग 70 हजार पुलिस कर्मी-होमगार्ड तथा लगभग 85 हजार विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

पंचायत निर्वाचन में आई.टी. का व्यापक उपयोग किया गया। आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in में हर जानकारी उपलब्ध करवायी गयी। जिला एवं जनपद सदस्य और सरपंच के शपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए गए। नाम निर्दे शन-पत्रों की जानकारी , मतदान का प्रति शत और मतगणना के परिणाम भी ऑनलाइन उपलब्ध थे।

जिले में मतदाता व मतदान केन्द्रों की स्थिति - 2015

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2016
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

ब्लाक	ग्राम पं.	वार्ड	जपं	जिपं	मतदाता	मतदान केन्द्र
राजपुर	66	1153	22	2	1,18,212	186
ठीकरी	58	970	19	2	96,503	184
सेंधवा	114	1851	25	4	1,91,504	294
पाटी	45	834	20	2	90,731	149
बड़वानी	52	922	19	2	95,947	172
निवाली	42	715	13	1	70,107	128
पानसेमल	39	753	14	1	83,752	149
योग	416	7,198	132	14	7,46,756	1262

स्रोत-जिला पंचायत कार्यालय बड़वानी से प्राप्त

निष्कर्ष

पंचायती राज लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। शासन की ऊपरी सतहों पर (केन्द्र तथा राज्य) कोई भी लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि निचले स्तर पर लोकतांत्रिक मान्यताएँ एवं मूल्य शक्तिशाली नहीं हो। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है जो सरकार को सामान्यजन के दरवाजे तक लाता है। लोकतंत्र के उन्नयन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विशेष भूमिका रही है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जन सामान्य को शासन कार्य में भागीदार एवं हिस्सेदार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसी भागीदारिता की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को प्रत्यक्षतः व परोक्ष रूप से शासन व प्रशासन का प्रशिक्षण स्वतः ही प्राप्त होता है। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ये स्थानीय जनप्रतिनिधि ही कालांतर में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व कर राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करते हैं। पंचायती राज संस्थाएं राष्ट्र को नेतृत्व उपलब्ध कराने में भी भूमिका निभाती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डॉ. शर्मा प्रभुदत्त 'ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर-1986

2. राव जे. के. वी, 'रिपोर्ट ऑफ़ द कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एड्जस्टमेन्ट फार रूरल डेवलपमेन्ट एण्ड प्रापर्टी एविलिएशन, ग्रामीण विकास विगाग, नईदिल्ली-1995, पृष्ठ-02

3. प्रशासनिक प्रतिवेदन 2000-2001, म.प्र. शासन, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, पृष्ठ-23